सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ऑन लाईन नं. RCMS 2020/00069

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी डा. गुजन सोनी, आर0ए0एस0
अपील प्रकरण सं0 20/2020

1. पुष्पा पुत्री श्री मनफुलराम पत्नी श्री दिवानचन्द जाति मेघवाल उम्र 23 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 09, कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थी

बनाम

1. अक्षय कुमार पुत्र नत्थूराम जाति मेघवाल निवासी कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. धराई बाई पत्नी श्री जुम्माराम जाति मेघवाल निवासी कालिया तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पदमपुर

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व आदेश नायब तहसीलदार
हिन्दुमलकोट इन्तकाल संख्या 895 स्वीकृत
दिनांक 04.05.2020

उपस्थित :

1.श्री राजकुमार नागपाल अधिवक्ता अपीलार्थी
2.श्री ओमप्रकाश बतरा अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस

:: आदेश :: दिनांक :– 20.08.2020

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप मे इस प्रकार है कि चक 3 जी बड़ी पटवार हल्का कालियां जमाबन्दी सम्वत् 2067–2070 के खाता संख्या 45/35 के मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 17 ता 25 और मुरब्बा नं. 28 के किला नं. 1 9,10,11,12 कुल 12 बीघा कृषि भूमि धराई बाई बेवा जुम्माराम , मनफूल, पूर्णराम, भौजूराम ,नत्थूराम पिसरान जुम्माराम, ककड़ी बाई दु. जुम्माराम जातियान मेघवाल निवासीयान कालिया तहसील श्रीगंगानगर के नाम से बहिस्सा बराबर कृषि भूमि खातेदारी थी। मुनफूलराम ने अपने जीवनकाल में अपने हिस्सा की कृषि भूमि चक 3 जी बडी मुरब्बा नं. 27 व 28 के संयुक्त खाते में से 0.502 हैक्टयर कुल 2 बीघा कृषि भूमि की वसीयत दिनांक 27.09.2018 को अपीलांटा के हक में करवा दी व उपपंजीयक श्रीगंगानगर के समक्ष उपस्थित होकर पंजीबद्व करवा दी और अपने जीवनकाल में अपने हिस्सा की कृषि भूमि व समस्त चल व अचल सम्पति अपीलांट के हक में वसीयत करवा दी। दिनांक 24.11.018 को मनफूल राम का देहान्त हो गया। मनफूलराम के देहान्त के बाद अपीलांटा द्वारा वसीयत के अनुसार मनफुल राम के हिस्सा की भूमि का इंतकाल वसीयत के आधार पर अपने नाम से दर्ज करवाने हेतु तहसीलदार श्रीगंगानगर को दिनांक 06.08.2019 को प्रार्थना पत्र पेश किया तहसीलदार द्वारा एल.आर. को दिनांक 06.08.2019 को प्रार्थना पत्र मार्क किया जिसमें अभी तक कार्यवाही चल रही थी इसलिए रेस्पोडेन्ट धराई बाई द्वारा तहसीलदार श्रीगंगानगर को मनफूल राम के हिस्सा की भूमि का

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

इंतकाल अपने नाम से करवाने हेतु दिनांक 24.01.2020 को प्रार्थना पत्र पेश किया इस प्रार्थना पत्र के आधार पर दिनांक 30.01.2020 को रेस्पोडेन्ट धराई बाई के नाम से मनफूलराम के हिस्सा की 502/3011 रकबा का इंतकाल स्वीकृत कर दिया गया । धराई बाई द्वारा 502/3011 हिस्सा की दस्तबरदारी अक्षयकुमार पुत्र श्री नत्थूराम के नाम कर दी जिस पर उप तहसीलदार ने दिनांक 04.05.2020 को दस्तबरदारी के आधार पर इन्तकाल संख्या 895 दिनांक 04.05.2020 को स्वीकृत कर दिया गया। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को बिना सुने, बिना नोटिस दिये और बिना कानूनी प्रकिया अपनाये अपीलकृत इन्तकाल रेस्पोडेन्ट के नाम से कर दिया। मनफूलराम के हिस्सा की 2 बीघा कृषि भूमि पर अपीलांटा का कब्जा है और अपीलांटा द्वारा मनफूलराम की मृत्यु के बाद मनफूलराम के हिस्सा की कृषि भूमि का राजस्व रिकॉर्ड अपने नाम से इंतकाल करने हेतू तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया। इस प्रार्थना पपत्र पर अभी कोई निर्णय पारित नहीं किया गया था। उससे पूर्व ही पटवार हल्का , भू.अ. निरीक्षक द्वारा बिना कब्जा की जांच किये बिना व अपीलांटा के पेश किये गये प्रार्थना पत्र पर बिना निर्णय किये रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में इन्तकाल संख्या 889 दिनांक 30.01.2020 पारित किया गया है। धराई बाई को मनफुल राम की अराजी में माता होने के नाते कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते क्योंकि मृतक ने अपने जीवनकाल में अपनी समस्त चल व अचल सम्पति व कृषि भूमि की वसीयत अपीलांटा के नाम से कर दी थी। धराई बाई द्वारा अक्षय कुमार के हक में दिनांक 17.02.2020 को की गई दस्तबदारी आधारहीन व विधि विरूद्व होने के कारण प्रारम्भ से ही शून्य है। इस दस्तबदारी का अपीलांटा के हितो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि अपीलांटा ने मृतक मनफुलराम की सेवा की और उसकी बेटी बनकर रही। अपीलांटा द्वारा अपने नाम से इंतकाल करवाने के लिए पेश किये गये प्रार्थना पत्र की पुछताछ करने के लिए दिनांक 05.06.2020 को पटवारी हल्का के पास गयी तो पटवारी हल्का ने रिकॉर्ड देखकर बताया कि मनफुलराम के रकबा का इंतकाल दिनांक 30.01.2020 को धराई बाई पत्नी जुम्मा राम के नाम से हो चुका है और इसके बाद धराई बाई ने इस रकबा की दस्तबरदारी अक्षय कुमार पुत्र श्री नत्थूराम के नाम कर दी और उसका भी इंतकाल दिनांक 04.05.2020 को अक्षय कुमार के नाम से इंतकाल संख्या 895 दिनांक 04.03.2020 हो चुका है जिस पर अपीलांटा द्वारा इंतकाल की नकल प्राप्त करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अपीलांटा को ज्ञात होने पर अपील अन्दर मियाद पेश की जा रही है। अतः अपील अपीलांटा स्वीकार की जाकर इंतकाल संख्या 895 स्वीकृत दिनांक 04.05. 2020 को निरस्त फरमाया जावें।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि चक 3 जी बड़ी पटवार हल्का कालियां जमाबन्दी सम्वत् 2067–2070 के खाता संख्या 45/35 के मुरब्बा नम्बर 27 के किला नम्बर 17 ता 25 और मुरब्बा नं. 28 के किला नं. 1 ता 9,10,11,12 कुल 12 बीघा कृषि भूमि धराई बाई बेवा जुम्माराम , मनफूल, पूर्णराम, भौजूराम ,नत्थूराम पिसरान जुम्माराम, ककड़ी बाई दु. जुम्माराम जातियान मेघवाल निवासीयान कालिया तहसील श्रीगंगानगर के नाम से बहिस्सा बराबर कृषि भूमि

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

खातेदारी थी जिसका इन्तकाल संख्या 889 तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा अपीलांटा को बिना सुने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 धराई बाई के नाम दर्ज कर कानूनी भूल की है। मुनफूलराम ने अपने जीवनकाल में अपनी भतीजी पुष्पा (अपीलांटा) जो उसके पास रहकर उसकी सेवा करती थी के नाम से अपने हिस्सा की कृषि भूमि की वसीयत दिनांक 27.09.2018 को उसके हक में करवा दी व उपपंजीयक श्रीगंगानगर के समक्ष उपस्थित होकर पंजीबद्व करवा दी। वसीयत पंजीबद्व करवाने के कारण धराई बाई रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के नाम जो इन्तकाल संख्या 889 तस्दीक किया गया वह मान्य नहीं रह जाता है जब इन्तकाल संख्या 889 मान्य नहीं रह जाता है तो उसकी पालना में धराईबाई द्वारा की दस्तबदारी के आधार पर जो इन्तकाल संख्या 895 भरा गया वह स्वतः ही अस्वीकार हो जाता है। उक्त विवादित सम्पति जिसकी धराई बाई द्वारा दस्तबदारी की गई वह सम्पति उसकी नहीं होने के कारण वह दस्तबदारी करने में सक्षम नहीं है। वसीयत में मुरब्बा नम्बर 25 व 27 वह टाईप मिस्टेक है जबकि उक्त विवादित सम्पति का मुरब्बा नम्बर 27 व 28 है। वसीयत में वसीयतकर्ता मनफूलराम द्वारा अपनी चल व अचल व कृषि भूमि समस्त सम्पति का ब्यौरा अंकित कर दिया गया तो मुरब्बा नम्बर जो टाईप मिस्टेक है का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः अपील अपीलांटा स्वीकार की जाकर इन्तकाल संख्या 895 स्वीकृत दिनांक 04.05.2020 खारिज फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि उक्त विवादित 12.05 बीघा रकबा जुम्माराम पुत्र हजारी राम को आवटन हुआ था जिसके मरने के बाद उसके वारिस निम्नानुसार है:–

4. धराई बाई पत्नी
5. मनफूल राम पुत्र
6. पूर्णराम पुत्र
7. नत्थूराम पुत्र
8. वेदप्रकाश पुत्र
9. काकडीदेवी पुत्री

मनफूलराम की पत्नी जमनादेवी थी इसके अलावा उसका कोई वारिस नहीं था। मनफूलराम की मृत्यु के बाद हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी की वारिस उसकी माता धराई बाई ही रह जाती है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत माता अपने पुत्र की सम्पति में बराबर की हकदार है। धराई बाई के प्रार्थना पत्र पर ही इन्तकाल संख्या 889 दिनांक 30.01.2020 दर्ज किया गया है जब इन्तकाल धराईबाई के नाम दर्ज हो चुका है तो वह दस्तबदारी करने हेतु अधिकृत हो जाती है। वसीयतकर्ता मनफूलराम द्वारा जो वसीयत उप पंजीयक श्रीगंगानगर के पंजीकृत की है उसमें मुरब्बा नम्बर 27 व 28 के स्थान पर मुरब्बा नम्बर 25 व 27 अंकित किया है जबकि मुरब्बा नम्बर 25 की कोई कृषि भूमि वसीयतकर्ता के नाम से ही नहीं है जससे उक्त वसीयत स्वतः ही अपने आप में सही नहीं है। अपीलांटा पुष्पा मृत्क मनफूलराम के भाई नत्थूराम की बेटी है। नत्थूराम की भूमि में अपीलांटा पुष्पादेवी का नाम दर्ज हुआ है। अपीलांटा नत्थूराम की बेटी होने के कारण वह अपील नहीं कर सकती। मनफूल राम को उक्त भूमि

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

विरास्तन प्राप्त हुई है क्योंकि उक्त विवादित भूमि मनफूलराम के पिता जुम्माराम पुत्र हजारीराम को आवंटित हुई थी जिसमें उसका हिस्सा अनुसार 2.00 बीघा भूमि प्राप्त हुई थी। उक्त विवादित भूमि जिसकी वसीयत मनफुलराम द्वारा की गई है वह उसकी स्वयं अर्जित भूमि नहीं है जिस कारण मनफूल राम उक्त भूमि की वसीयत करने का हकदार नहीं है। धराईबाई द्वारा की दस्तबदारी के आधार पर नायब तहसीलदार हिन्दूमलकोट द्वारा भरा गया इन्तकाल संख्या 895 स्वीकृत दिनांक 04.05.2020 सही है। अतः अपील अपीलार्थिया कोस्ट पर खारिज फरमाई जावें।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों के आलोक में गहनता से अवलोकन किया तो पाया कि मनफूलराम की मृत्यु के बाद हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी की वारिस उसकी माता धराई बाई ही रह जाती है जो कि एकेली वारिस है क्योंकि मनफूलराम की पत्नी का पूर्व में देहान्त हो चुका है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत माता अपने पुत्र की सम्पति में बराबर की हकदार है। धराई बाई के प्रार्थना पत्र पर ही इन्तकाल संख्या 889 दिनांक 30.01.2020 दर्ज किया गया है। इन्तकाल दर्ज होने पर धराईबाई दस्तबदारी करने में सक्षम है। धराईबाई द्वारा की दस्तबदारी के आधार पर नायब तहसीलदार हिन्दूमलकोट द्वारा भरा गया इन्तकाल संख्या 895 स्वीकृत दिनांक 04.05.2020 जो भरा गया है वह विधि सम्मत् प्रतीत होता है। फलस्वरूप अपील अपीलार्थिया अस्वीकार की जाती है। आदेश की प्रति नायब तहसीलदार हिन्दूमलकोट को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं रिकार्ड लोटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 20.08.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डा. गुजन सोनी)
अति0 जिला कलक्टर
(प्रशासन), श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner